

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(राष्ट्रीय मुल्यांकन एवम प्रत्यायन परिषद “ए” ग्रेड विश्वविद्यालय)
“वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन प्रकोष्ठ”

वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन :-

वर्षा के पानी को उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए एकत्रित करने की विधिया अपनाने को वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन कहते हैं, दिन प्रतिदिन पानी की कमी चिंता का एक बड़ा कारण बन रही है, व दिन-प्रतिदिन भू-तल के घटते जल स्तर पर आज से ही वर्षा जल संग्रहण के प्रबन्धन कार्य पर विचार करना आवश्यक है, वर्षा जल का इस्तेमाल गाडीया धोने , कपड़े धोने , बर्तन धोने , फर्श धोने, अग्निशमन एवं सौन्दर्यिकरण सहित सीवेज से सम्बन्धित सभी प्रकार की गतिविधियों के कार्य प्रयोजन के लिए हितकारी है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बन्धता एवम व मान्यता रखने वाले सभी निजी / सरकारी शैक्षणिक संस्थानों सहित विश्वविद्यालय परिसर में वर्षा जल संग्रहण के कार्यों को सुनिश्चित / सुनियोजित करने हेतु वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ।

वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन प्रकोष्ठ का गठन :-

वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन प्रकोष्ठ का गठन (C.W.P.4886/2014) के अंतर्गत दिनांक 12/9/2014 को किया गया है इसके सदस्य निम्न है ।

- | | |
|--|-------------|
| 1. प्रो.एस .एस.चौहान,अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद | -अध्यक्ष |
| 2. प्रो.डी.डी.शर्मा,विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग | -सदस्य |
| 3. प्रो.हिम चटर्जी ,विभागाध्यक्ष,दृश्य कला | -सदस्य |
| 4. श्री अशोक,राना ,अधिसासी अभियंता | -सदस्य |
| 5. श्री.विनोद कुमार गुलेरिया,प्रारूपकार/अधिकारी | -सदस्य सचिव |

वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन प्रकोष्ठ के कार्य :-

1. वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन के कार्यों के नियम/विनियम अनुसार रूपरेखा का ढांचा तयार करना।
2. वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन के कार्यों की नीतियों के उपाय ढूढना ।
3. वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन के परीविक्षक कार्यों की गतिविधियों का निरिक्षण करना ।
4. वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन की गतिविधियों के कार्य प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय हित में बाहरी स्त्रोतों से निधि इकठा करना ।

5. वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन के प्रगतिशील कार्यो /कार्यक्रमो का पुननिरीक्षण कर उचित मार्गदर्शन करना।
6. विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली सम्बन्धता / मान्यता के प्रपत्र में एक बिंदु वर्षा जल संग्रहण की अनिवार्यता शामिल करने सहित वर्षा जल के सदुपयोग का मार्गदर्शन करना।

टिप्पणी :-

माननीय हरित न्याय अधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत दिनांक ओ.ए.संख्या 72/2014 दिनांक 20/8/2015 को भारत सरकार के अधीनस्थ सभी सरकारी, गैर अर्ध सरकारी विभागों एवं निगमों बोर्डों सहित सभी स्वायत्त संस्थानों में वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन व्यवस्था के संचालित होने या ना होने (functional /none functional) के परीवीक्षक / निरीक्षण कार्य प्रयोजन के लिए अधिकारी अधिसूचित कर उसका नाम व मोबाइल. नो. सम्बन्धित विभागो की वेब- साइटों पर डालने आवश्यक है व ओ.ए.संख्या 414 / 2017 दिनांक 20/6/2017 को जारी दिशा निर्देशों के की अनुपालना पर हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी / निजी निर्मित एवं प्रस्तावित भवनो को इस्तेमाल करने हेतु एन.ओ.सी. जारी करने से पहले (साफ - सफाई) सीवेज के कार्य प्रयोजन हेतु वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन व्यवस्था के सुचारू होने या ना होने (फंक्शनल/नॉन फंक्शनल) की अनिवार्यता का परीवीक्षण / निरीक्षण करना प्रपत्र/पंजिका में दर्ज करना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

विनोद कुमार गुलेरिया,
सदस्य सचिव (प्रारूपकार) अधिकारी,
वर्षा जल संग्रहण प्रबन्धन प्रकोष्ठ ,
विश्वविद्यालय , समरहिल शिमला-5,
हिमाचल प्रदेश | मो. न. 94181/17733,
इ.मेल.आई.डी.vinodguleria1@gmail.com